न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 23/2022
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/36

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. **श्री महेन्द्र कुमार टेलर पुत्र श्री लक्ष्मीलाल टेलर निवासी 152, ब्राम्हणो का मोहल्ला, बस स्टेण्ड रोड, लोहारिया, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)**
2. **श्रीमती रेखा पत्नि महेन्द्र कुमार टेलर निवासी 424, मैन बाजार लोहारिया, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)**
3. **श्री जुगल दर्जी पुत्र श्री महेन्द्र दर्जी निवासी 424, मैन बाजार लोहारिया, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)**
4. **श्री मुकेश कुमार जैन पिता छगनलाल जैन निवासी वार्ड नं. 06, ग्राम लोहारिया, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती)**

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 31–05–2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– **श्री महेन्द्र कुमार टेलर पुत्र श्री लक्ष्मीलाल टेलर निवासी 152, ब्राम्हणो का मोहल्ला, बस स्टेण्ड रोड, लोहारिया, तहसील गढी जिला बॉसवाडा** (ऋणी व बंधक कर्ता) 2– श्रीमती रेखा पत्नि **महेन्द्र कुमार टेलर निवासी 424, मैन बाजार लोहारिया,** तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 3– **श्री जुगल दर्जी पुत्र श्री महेन्द्र दर्जी निवासी 424, मैन** बाजार लोहारिया, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 4– **श्री मुकेश कुमार जैन पिता छगनलाल जैन निवासी वार्ड नं. 06,** [illegible] लोहारिया, तहसील गढी जिला **बॉसवाडा (जमानती)** को दिनांक 03–05–2019 को राशि रुपये 10,00,000 ([illegible] मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त [illegible] नहीं कर सके और भुगतान [illegible] व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11–11–2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02–03–2021 को कुल बकाया राशि 10,13,700 रू. (दस लाख तेरह हजार सात सौ रुपये मात्र) एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

त्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी चल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण **श्री महेन्द्र कुमार टेलर पुत्र श्री लक्ष्मीलाल टेलर** की युक्त सम्पत्ति जो आबादी भूमि 8624/4671 ग्राम लोहारिया, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1633 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में दानदाता की शेष आबादी भूमि 1633 वर्गफीट, पश्चिम में नाथु पुत्र मंगलिया भील की भूमि, उत्तर में बॉसवाडा उदयपुर मुख्य डामर रोड, दक्षिण में माही नगर है, को बतौर प्रतिभूति स्वरुप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 17-03-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 06.05.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नोटिस दिनांक 26.05.2022 को एवं अप्रार्थी सं. 4 के नोटिस दिनांक 30.05.2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण को ... समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 31–05–2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 31–05–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested